न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

बईजलास –कुमार पाल गौतम,जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

भरण पोषण अपील संख्या 99/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल लोहिया जाति माहेश्वरी लोहिया निवासी नागौर हाल निवास उम्मेद चौक, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर		1. मांगीलाल पुत्र जयनारायण 2. श्रीमति कमला पत्नी मांगीलाल जातियान लोहिया निवासीगण पितीवाडा, नागौर तहसील व जिला नागौर

आदेश दिनांक 30.11.17

यह अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या–3/2014 मांगीलाल वगैराह बनाम ओमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2015 से व्यथित होकर दिनांक 30.8.2017 को यह अपील पेश की है। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश दिनांक 15.9.2015 को अधिनस्थ न्यायालय ने पारित किया था, प्रार्थी/अपीलांट अत्यन्त गरीब व्यक्ति है, जोधपुर में निवास करता है तथा छोटी मोटी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। प्रार्थी/अपीलांट कानूनी जानकारी नहीं रखता है इसलिए उक्त निर्णय के विरूद्ध समय पर अपील पेश नहीं कर सका, अब प्रार्थी/अपीलांट को उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश करनी आवश्यक हो गयी है। प्रार्थी/अपीलांट की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, उसके परिवार के भरण पोषण की भी विकट समस्या बनी हुई है इसलिए प्रार्थी/अपीलांट की उक्त अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में प्रार्थी/अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है, इसलिए प्रार्थी/अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुरोध किया। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा के अपील के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार करने के पश्चात अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट नागौर

अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया की रेस्पोडेन्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एंव कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत भरण पोषण भत्ता दिलाने बाबत प्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध पेश किया। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.09.2015 को निर्णय पारित कर अपीलांट को अपने माता पिता को अलग–अलग भरण पोषण हेतु दो–दो हजार अर्थात् कुल चार हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से रेस्पोडेन्ट्स के खाते में जमा कराने के आदेश पारित किये। अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के अभिवचनों व साक्ष्य सबूत का विवेचन व परिसीलन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट्स का आवेदन स्वीकार कर लिया, जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट अत्यन्त गरीब व्यक्ति है जो जोधपुर में निवास कर ठेला व साईकिल पर फेरी लगाकर चॉकलेट व नमकीन बेच अपना, अपनी पत्नी व दो सन्तानों का बडी मुश्किल

से भरण पोषण कर रहा है और उसका काम धंधा भी बहुत कम चलता है। रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट को हर माह कर्जा लेकर जीवन बसर करना पड रहा है। इतनी बडी राशि प्रतिमाह अदा करने का उसका सामर्थय नहीं है। अपीलांट को प्रोपर्टी में बंट दिये बिना लड़ झगड़कर बेघर किया है व सम्पूर्ण सम्पति कृषि भूमि की आमदनी आदि रेस्पोडेन्ट्स प्राप्त कर रहे है। अपीलांट की माता सौतेली होने से अपीलांट को नेगलेट कर रखा है। रेस्पोडेन्ट्स के दो और पुत्रगण है व अच्छी आय अर्जित कर रहे है। केवलमात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से रेस्पोडेंट द्वारा भरण पोषण का आवेदन किया गया है, जबकि सभी पुत्रगण ऐसे आवेदन में कानूनी रूप से आवश्यक पक्षकार होते है और सभी का बराबर का उत्तरदायित्व बनता है परन्तु रेस्पोडेन्ट ने अपने अन्य दो पुत्रों को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भरण पोषण के प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। पुश्तैनी प्रोपर्टी में भी उसका कानूनन बनने वाला हिस्सा नहीं देकर पूरी सम्पति रेस्पोडेन्ट कमला अपने जायन्दा पुत्रगण सन्तोष कुमार व पवन को देना चाहती है तथा अपीलांट को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिससे अपीलांट के साथ अन्याय हो रहा है। रेस्पोडेन्ट्स के पास पूर्व में बेची गई 20 बीघा कृषि भूमि की प्रतिफल की राशि 10 लाख रूपये पड़े है, जिससे अच्छा ब्याज प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा बाकी 20 बीघा जमीन से लाखों रूपये की सलाना पैदावार से आय अर्जित हो रही है। इन हालात में रेस्पोडेन्ट्स ने बिना आवश्यकता के अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विधि विरूद्व आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को पुश्तैनी सम्पति व खेती बाडी आदि में पुरा बंट देकर उसके हिस्से की सम्पति उसे दे तो अपीलांट अपने माता पिता को अपने साथ रखकर जैसी दाल रोटी स्वंय खाता है वैसी ही उनको भी खिलाने को तैयार है व आज भी पूर्ण आदर के साथ अपने साथ रखकर उनका भरण पोषण करने को तैयार होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार कर निर्णय जैर अपील खारिज करनें का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.09.2015 की अनुपालना में कुछ माह तक अपीलांट द्वारा खर्चा भेजा मगर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष खर्चा बढाने का आवेदन पेश किया तब यह अपील पेश की है। रेस्पोडेन्ट मांगीलाल वृद्व व बेरोजगार है नौकरी नहीं करता है। रेस्पोडेन्ट कमला ने ही अपीलांट का पालन पोषण किया था तथा उसे पढाया था। बडे अच्छे लाड प्यार से बडा किया था मगर अब व सौतेली मां को खर्चा देने का कानूनी दायित्व निभाना नहीं चाहता इसकी शादी का कर्जा हम रेस्पोडेन्ट्स पर चढ गया जो उतारना पडा। अपीलांट को रेस्पोडेन्ट मांगीलाल ने अलग किया तब उसे 50,000/– रूपये दिये तथा गहना जेवरात सभी देकर लिखा पढी शपथ पत्र के रूप में करवाई और अपीलांट ने इन रूपयों से नोखा मंडी में प्लाट खरीदा व शपथ पत्र लिखा कि पोता आशीष भी अब कुछ नहीं मांग सकेगा जबकि अपीलांट के पुत्र आशीष ने हम रेस्पोडन्ट्स दादा दादी पर एडीजे–2, नागौर व ऐसीजे (जेडी), नागौर में दो दावे कर रखे है व हमें खर्च से बर्बाद करने पर तुल हुए है। इससे मजबूर होकर रेस्पोडेन्ट्स को खर्चा जीवन यापन का लेने की आवश्यकता है। अपीलांट ओमप्रकाश जोधपुर में चॉकलेट, नमकीन व गुटको का होल सेल व्यापारी है तथा हर माह लाखों रूपये कमाता है। ठेला चला कर व साईकिल पर फेरी लगाकर चॉकलेट व नमकीन बेचने की बात गलत है। अपीलांट थोक व्यापार कर लाखों रूपये हर माह कमाता है। हम रेस्पोडेन्ट्स दोनो वृद्व है तो हमारे कोई कमाई नहीं है। रेस्पोडेट्स का पुत्र पवन पढता है तथा अपीलांट का यह आरोप सर्वथा गलत है कि पवन पढाई नहीं करता। अपीलांट ने अपने पुत्र से रेस्पोडेन्ट्स पर झूठे दावे कर रखे है, जिससे सेवा करना व खर्चा देना तो दूर रहा बल्कि उल्टा रेस्पोडेन्ट्स को परेशान कर मुकदमें बाजी का खर्चा करवा रहा है। अतः जवाब पेश कर कथन किया कि अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमा कर रेस्पोडेन्ट्स को अपीलांट से हर माह 5000–5000 रूपये जीवन यापन हेतु दिलाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व 2 वृद्ध व्यक्ति है। प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्ट व उसकी पत्नी जयश्री द्वारा दिनांक 7.3.2007 को निस्पादित हलफनामा की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार अपीलान्ट व उसकी पत्नी रेस्पोडेन्टस् से करीब

13 वर्ष से अलग रह रहे है एवं वर्तमान में जोधपुर में निवासी कर रहे है तथा अपीलान्ट द्वारा अपने पिता की सम्पति जमीन, सोना, चांदी एवं गहना जो भी इनके हक व हिस्सा में आता था वह अपीलान्ट व उसकी पत्नि द्वारा प्राप्त कर लिया है तथा उक्त हलफनामा में अब अपने पिता की सम्पति, जमीन, सोना, चांदी गहना में अपीलान्ट स्वंय, उसकी पत्नि व उसके पुत्र आशीष का कोई हक हिस्सा नहीं होने तथा भविष्य में कोई हक हिस्सा की मांग नहीं करने का कथन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट ने अपने पिता की संपत्ति मे हक व हिस्सा प्राप्त किया है।

अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया है कि उसके पिता रेस्पोडेन्ट कपड़े की दुकान में नौकरी करते है तथा 10,000/–रूपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलने का कथन किया है, उक्त संबंध में रेस्पोडेन्ट मांगीलाल ने कथन किया की वह वृद्ध व्यक्ति है तथा उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है एवं उसकी एक ऑख भी पूर्णतया खराब होने से उसे पूर्णरूप से दिखाई भी नहीं देता है एवं न ही उसके द्वारा कोई नौकरी की जा रही है, अपीलान्ट जोधपुर में चाकलेट, नमकीन व गुटकों का होल सेल व्यापारी है और जानबूझ कर रेस्पोडेन्टस् का भरण पोषण नहीं करना चाहता है। इससे रेस्पोडेंट मांगीलाल द्वारा कपड़े की दुकान में नौकरी करने का तथ्य अपीलांट साबित करने में असफल रहा है। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने भी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो की रेस्पोडेन्ट मांगीलाल नौकरी कर 10,000/–प्रति माह प्राप्त रहा हो।

अपीलान्ट द्वारा अपने बडेर की पुश्तैनी 40 बीघा भूमि ग्राम जोधियासी में रेस्पोडेन्ट मांगीलाल की खातेदारी होना तथा जिसमें से 20 बीघा जमीन श्रीमती हेमीदेवी को 10,00,000/–रूपये में बेचना बताया है, जो रूपये रेस्पोडेन्ट मांगीलाल के पास होना बताया है। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा बैचान हक खातेदारी दिनांक 02.04.2013 की नकल प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार मांगीलाल द्वारा श्रीमति हेमीदेवी को ग्राम माण्डेली की सरहद में खसरा नम्बर 49 रकबा 41 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि श्रीमती हेमी देवी को 2,00,000/–रूपये में बेचान करना बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट द्वारा उक्त भूमि 10,00,000/–रूपये में नहीं बेची जाकर 2,00,000/–रूपये में ही बेची गई है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार ग्राम माण्डेली की सरहद में खसरा नम्बर 49 रकबा 41 बीघा 05 उक्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट के पुत्र आशीष द्वारा वाद मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय नागौर एवं सिविल न्यायालय (क0ख0) नागौर में वाद दायर किया हुआ है। इस प्रकार अपीलान्ट ने अपने पिता की सम्पति में सभी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त किया है एवं अपीलान्ट अपने माता–पिता रेस्पोडेन्टस् के भरण पोषण से बचने का प्रयास कर रहा है। इसलिए प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 15.09.2015 को यथावत रखा जाता है। आदेश की एक–एक प्रमाणित प्रति अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स को निःशुल्क भिजवाई जावे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए आदेश की प्रमाणित उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर